सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **258/2020** दायर दिनाँक **22.09.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बजरंगसिंह राठौड पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी सेवा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सज्जन कंवर पत्नी स्व0 रिछपालसिंह 2. सज्जनसिंह पुत्र मालसिंह 3. श्यामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 4. रामसिंह पुत्र मोहनसिंह 5. लीला कंवर पुत्री मोहनसिंह 6. गायत्री कंवर पुत्री मोहनसिंह 7. सज्जन कंवर पुत्री अर्जुनसिंह 8. सुगन कंवर पुत्री अर्जुनसिंह 9. किशोर कंवर पुत्री अर्जुनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सेवा तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राज0 10. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री दानाराम भाटी वकील वादी।
2. श्री अजीतसिंह वकील प्रतिवादी सं0 01 व 02
3. श्री जगदीश गिरी वकील प्रतिवादी सं0 03 ता 09

दिनाँक **03.03.2021**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम सेवा के खेत खसरा सं0 09 रकबा 2.63 हैक्टयर, खसरा सं0 16 रकबा 8.62 हैक्टयर भूमि की खातेदारी मुझ वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 के नाम से वर्तमान में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है।

मुझ वादी के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम बजरंग सिंह राठौड दर्ज है। जैसे परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता पास बुक आदि समस्त दस्तावेजों में मुझ वादी का सही व सत्य नाम बजरंग सिंह राठौड पुत्र श्री अर्जुन सिंह [illegible] है। जिनकी फोटो प्रतियां वाद के साथ संलग्न पेश है।

मुझ वादी का सही व सत्य नाम [illegible] सिंह राठौड पुत्र श्री अर्जुन सिंह दर्ज है। जबकि राजस्व अधिकारियों की भूल [illegible] व अज्ञानता के कारण उक्त खेतों की खातेदारी में मुझ वादी का नाम [illegible]दसिंह पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज हो गया है। जबकि मुझ वादी का सही व सत्य नाम बजरंग सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज होना चाहिए था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:13:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 258/2020
दायर दिनाँक 22.09.2020 निर्णय दिनाँक 03.03.2021
बजरंग सिंह बनाम सज्जन कंवर, वगैरा।

मुझ वादी का नाम समस्त राजकीय दस्तावेजों में बजरंग सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज है। जबकि जमाबन्दी में नाम उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज है। इस प्रकार मेरे नामों में भिन्नता व सम्मान नाम न होने के कारण अनेकानेक कठिनाईयों व परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा नहीं कोई किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त होती है बल्कि दिक्कतें कठिनाईयां होती है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक होने के कारण वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादी है कि ग्राम सेवा के खेत खसरा सं0 09 रकबा 2.63 हैक्टयर, खसरा सं0 16 रकबा 8.62 हैक्टयर की खातेदारी में मुझ वादी का नाम उम्मेदसिंह पुत्र अर्जुन सिंह के स्थान पर बजरंग सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 व 02 की तरफ से वकील श्री अजीतसिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 3 ता 9 की तरफ से वकील श्री जगदीश गिरी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक रीडर/20/10 दिनांक 12.01.2021 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सेवा के खसरा सं0 09 रकबा 2.63 हैक्टयर, में खातेदार उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुनसिंह कौम राजपूत रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदार उम्मेदसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के समस्त पहचान दस्तावेजों (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पेन कार्ड) में बजरंग सिंह पुत्र अर्जुन सिंह कौम राजपूत दर्ज है। ग्राम पंचायत सूपका के प्रमाण पत्र में बजरंग सिंह पुत्र अर्जुन सिंह कौम राजपूत सही होना बताया गया है।

वकील वादी व वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम बजरंग सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद सेवा के खेत खसरा सं0 09 रकबा 2.63 हैक्टयर, खसरा सं0 16 रकबा 8.62 हैक्टयर में सहखातेदारी में वादी का नाम उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के स्थान पर बजरंग सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:13:48 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमान राम चौधरी)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 03.03.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(हनुमानाराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **258/2020** दायर दिनाँक **22.09.2020**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. बजरंगसिंह राठौड पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी सेवा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सज्जन कंवर पत्नी स्व0 रिछपालसिंह 2. सज्जनसिंह पुत्र मालसिंह 3. श्यामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 4. रामसिंह पुत्र मोहनसिंह 5. लीला कंवर पुत्री मोहनसिंह 6. गायत्री कंवर पुत्री मोहनसिंह 7. सज्जन कंवर पुत्री अर्जुनसिंह 8. सुगन कंवर पुत्री अर्जुनसिंह 9. किशोर कंवर पुत्री अर्जुनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सेवा तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज0 10. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **03.03.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दानाराम भाटी वकील वादी, श्री अजीत सिंह वकील प्रतिवादी सं0 01 व 02, श्री जगदीश गिरी वकील प्रतिवादी सं0 03 ता 09 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा सरहद वाके सरहद सेवा के खेत खसरा सं0 09 रकबा 2.63 हैक्टयर, खसरा सं0 16 रकबा 8.62 हैक्टयर में सहखातेदारी में वादी का नाम उम्मेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के स्थान पर बजरंग सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:13:48 IST
Reason: SelfAttested

नीज..........–.......... मुबलिंग............–........... ....–............

........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद ... –.......... की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.03.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:13:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner